छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-दो

गुरूवार, दिनांक 20 फरवरी, 2014 (फाल्गुन 1, 1935)

अध्यक्ष के स्थायी आदेश में संशोधन

छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 275 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19 फरवरी, 2014 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थायी आदेश क्रमांक 137 (1) को निम्नानुसार संशोधित करने के आदेश प्रदान किये है:-

"137 (1) पत्रकार दीर्घा में प्रवेश देने हेतु परामर्श देने के लिए अध्यक्ष, स मय-समय पर समाचार पत्रों/अभिकरणों/इलेक्ट्रनिक मीडिया के प्रतिनिधियों में से पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति का नाम-निर्देशन करेंगे, जिसमें 3 पदेन सदस्यों सहित उतने सदस्य होंगे, जितने कि अध्यक्ष आवश्यक समझें।"

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव